भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

सार्वजनिक नोटिस

यह सूचित किया जाता है कि सरकार को भारत की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने, राष्ट्र की सुरक्षा करने, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अथवा किसी अवरोध को बढ़ावा देने से रोकने के लिए, भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5 की उपधारा 2 के तहत, तार संदेश (यानि तार की मार्फत भेजे गए या तार द्वारा भेजे जाने हेतु या वितरित किए जाने हेतु तार अधिकारी को दिए गए) को अंतरग्रहण करने का आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय तार अधिनियम, 1885 में तार को "**किसी प्रकार के चिह्नों, संकेतों, लेखन प्रतिबिंबों और ध्वनियों अथवा आसूचना का तारयंत्र, चाक्षुष या अन्य विद्युत-चुम्बकीय उत्सर्जनों, रेडियो तरंगों अथवा हर्टजी तरंगों, गैल्वनीय, विद्युत या चुम्बकीय साधनों से पारेषण या प्राप्ति के लिए प्रयुक्त या प्रयोक्तव्य कोई सचित्र, उपकरण, सामग्री या यंत्र**" के रूप में परिभाषित किया गया है।

अप्राधिकृत तौर पर तार सेवा देना, अनुमेय करना, कार्यरत करना, या तैयार करना; सिग्नल कक्ष में घुसपैठ करना, तारघर में घुसना या व्यवधान डालना; संदेशों को जानने का अवैध प्रयास करना और तार उपकरणों को जानबूझकर हानि पहुंचाना या संदेशों को बदलना भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 20, 23, 24 एवं 25 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार अपराध हैं। बिना लाइसेंस प्राप्त किए वायरलैस तार उपकरण रखना भी भारतीय वायरलैस तार अधिनियम, 1933 की धारा 3 और 6 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार एक अपराध है।

यह ध्यान में आया है कि कुछ व्यक्ति/ कुछ कंपनियां जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं, निजी कंपनियाँ एवं निजी जासूस एजेंसियां संचार के अप्राधिकृत अनुवीक्षण, अंतरावरोधन एवं निगरानी करने के लिए अप्राधिकृत संचार नेटवर्क की स्थापना, रखरखाव एवं प्रचालन कर रहे हैं और कभी-कभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को अल्प अवधि हेतु प्रदर्शन करने के उद्देश्य से इन उपकरणों का आयात कर रहे हैं। ऐसे कार्यों से भारतीय तार अधिनियम, 1885 एवं भारतीय वायरलैस तार अधिनियम, 1933 का उल्लंघन होता है और इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों/कंपनियों को भारतीय तार अधिनियम, 1885 एवं भारतीय वायरलैस तार अधिनियम, 1933 के प्रावधानों के तहत दंड दिया जा सकता है।

यह सूचित किया जाता है कि कानून के अनुसार अप्राधिकृत संचार नेटवर्क, संचार के अनुवीक्षण, अंतरावरोधन एवं निगरानी के लिए किसी उपकरण/उप-प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

वे व्यक्ति एवं कंपनियाँ जिन्होंने संचार के अनुवीक्षण, अंतरावरोधन एवं निगरानी के लिए सक्षम उपकरण/उप प्रणाली का आयात किया है, प्रापण किया है अथवा जिनके पास ये उपकरण/उपप्रणाली हैं, को निदेश दिया जाता है कि वे दूरसंचार विभाग के संबंधित **दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं अनुवीक्षण (टीईआरएम) प्रकोष्ठों** को अनुबंध-I में दिए गए प्रपत्र में, इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर, ऐसे उपकरणों के ब्यौरे के बारे में सूचित करें। दूरसंचार विभाग के दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं अनुवीक्षण (टीईआरएम) प्रकोष्ठों की सूची एवं उनका संपर्क विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

उन व्यक्तियों एवं कंपनियाँ जिन्होंने संचार के अनुवीक्षण, अंतरावरोधन एवं निगरानी के लिए सक्षम उपकरण/उप प्रणाली को अपने पास रखा है या जिन्होंने इसे आयात, प्राप्त किया है या बनवाया या विनिर्माण करवाया है, उनके बारे में सरकार द्वारा अपने स्रोतों की मार्फत भी स्वतंत्र रूप से सूचना एकत्र की जा रही है। वे व्यक्ति/कंपनियाँ जो इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर, ऐसे उपकरणों के ब्यौरे के बारे में सूचित नहीं करेंगी उन पर कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी जिसमें जुर्माना लगाने और कारावास का प्रावधान किया गया है जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(गौतम कुमार)
निदेशक (सुरक्षा-II)

सेवा में,

श्री----------------------------,
उपमहानिदेशक, टीईआरएम, दूरसंचार विभाग,
-------------------------------,
-------------------------------।

विषय: संचार के अनुवीक्षण, अंतरावरोधन एवं निगरानी के लिए सक्षम उपकरणों/उप प्रणालियों के बारे में सूचना प्रस्तुत करना।

1. उपकरण को रखने वाले व्यक्ति/कंपनी का नाम
2. पता
3. टेलीफोन नं:
4. मोबाइल नं:
5. ई-मेल आईडी
6. कंपनी द्वारा रखे गए उपकरण/उपप्रणाली के बारे में सूचना
7. उद्देश्य

क्रमांक	उपकरण/ उपप्रणाली का नाम	उपकरण का मॉडल नम्बर	उपकरण की क्रम संख्या	आयात/क्रय किए जाने का वर्ष	विनिर्माता/ आपूर्तिकर्ता का नाम/पता	जीएसएम/ सीडीएमए/ डब्ल्यूसीडीएमए/ बीडब्ल्यूए आदि पर कार्य	प्रचालन की बारंबारता		उपकरण की शक्ति		उद्देश्य एवं अंतिम प्रयोग जिसके लिए उपकरण प्राप्त किया गया था	अवस्थिति जहाँ उपकरण की जांच/ सत्यापन किया जा सके
							पारेषण	प्राप्ति	पारेषण	प्राप्ति		

तारीख

स्थान

(हस्ताक्षर)

नाम
पदनाम
टेलीफोन नं:

क्र0 सं0	टीईआरएम (टर्म) प्रकोष्ठ	मुख्यालय का स्थान	क्षेत्राधिकार	पदनाम और कार्यालय का पता	दूरभाष सं0
1.	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै (मेट्रो जिला), पांडिचेरी (दूरसंचार जिला)	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, तृतीय तल, केलीस दूरभाष केंद्र,22 केलीस रोड़, चेन्नै-10	044-26451000
2.	दिल्ली	दिल्ली	गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव सहित दिल्ली	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, पांचवा/छठा तल, एमटीएनएलएल दूरभाष केंद्र भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	011-26469191
3.	मुंबई	मुंबई	मुंबई (मैट्रो जिला)	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, पांचवा तल, तकनीकी भवन, साकिविहार दूरभाष केंद्र भवन, साकिविहार रोड, मुंबई-400072	022-28574300
4.	हैदराबाद	हैदराबाद	हैदराबाद (दूरसंचार जिला)	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, तृतीय तल, कवादिगुडा, दूरभाष केंद्र भवन, भोलकपुर, हैदराबाद-6000080	040-27262277
5.	केरल	एर्नाकुलम	केरल, लक्षद्वीप	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, उप महानिदेशक (वीटीएम) का कार्यालय नजदीक दमकल केंद्र, गांधी नगर, एर्नाकुलम-682020	0484-2205900
6.	कर्नाटक	बेंगलुरू	बेंगलुरू दूरसंचार जिले को छोड़कर कर्नाटक	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, द्वितीय तल, अमिनिटी ब्लॉक, पैलेस रोड, बेंगलुरू-560001	080-22372828
7.	महाराष्ट्र	नागपुर	पुणे दूरसंचार जिले को छोड़कर महाराष्ट्र	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, प्रथम तल, खमला दूरभाष केंद्र, खमला, नागपुर-440025	0712-2293999
8.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद दूरभाष जिले को छोड़कर गुजरात	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, प्रथम तल, डाक और तार प्रशासनिक भवन, खानपुर, अहमदाबाद-380001	079-25510011
9.	पंजाब	चंडीगढ़	चंडीगढ़ सहित पंजाब	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, प्रथम तल, दूरभाष केंद्र भवन, सेक्टर-70, मोहाली, चंडीगढ़-160071	0172-2272040
10.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर दूरसंचार जिले को छोड़कर राजस्थान	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, भूमिगत तल, प्रसारण ब्लाक, टीएएक्स भवन, पीजीएमटीडी का कार्यालय, जयपुर, जीपीओ के सामने, एमआई रोड, जयपुर-302010	0141-2236605
11.	तमिलनाडु	कोयंबटूर	तमिलनाडु	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, पांचवा तल, एलआईसी भवन संख्या-1544, त्रिची रोड, कोयंबटूर-641018	0422-2306857

12.	उ0प्र0 (पूर्व)	लखनऊ	उ0प्र0 (पूर्व)(दूरसंचार सर्किल) लखनऊ दूरसंचार जिला को छोड़कर	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, 5/464-465, विक्रम खंड 5, गोमती नगर, लखनऊ - 226010	0522-2727400
13.	प0 बंगाल	कोलकाता	पश्चिम बंगाल कोलकाता (दूरसंचार सर्किल), सिक्किम को छोड़कर	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, 82, बुल्लीगंज प्लेस, द्वितीय हॉल, कन्वर्जेंस हल के पास, कोलकाता-700019	033-24606575
14.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू	जम्मू व कश्मीर	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, चौथा तल, प्रशासनिक ब्लॉक बीएसएनएल भवन, रेल हेड काम्पलेक्स, त्रिकुट नगर, जम्मू	0191-2470111
15.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	हिमाचल प्रदेश	उप महानिदेशक (टीईआरएम) दूरसंचार विभाग, हरि निवास खलिनी, शिमला, हि0प्र0-171002	0177-2629700
16.	हरियाणा	अंबाला	हरियाणा फरीदाबाद और गुड़गांव को छोड़कर	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, तृतीय तल, कमरा सं0 314, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, माल रोड, अंबाला केंद्र, अंबाला	0171-2602222
17.	उत्तरांचल	देहरादून	उत्तरांचल	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, तृतीय तल, विंड लैस कॉम्पलेक्स, राजपुर रोड देहरादून, उत्तरांचल -248001	0135-2734577
18.	उ0प्र0 (प0)	मेरठ	उ0प्र0 (पश्चिम सर्किल) गाजियाबाद और नोएडा को छोड़कर	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, प्रथम तल, ब्रह्मपुरी टेलीफोन एक्सचेंज मेरठ (उ0प्र0)-250002	0121-2402200
19.	बिहार	पटना	बिहार	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, 7वां तल, टेलीफोन भवन, आर ब्लॉक, पटना-800001	0612-2211121
20.	झारखंड	रांची	झारखंड	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, एआरटीटीसी बिल्डिंग (जूमर रिवर के पास), पोस्ट ऑफिस न्योरी विकास विधालय, एच0बी0 रोड, रांची-835217	0651-2273444
21.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	उड़ीसा	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, 7वां तल, आईडीसीओ टॉवर, भुवनेश्वर- 22, उडीसा	0674-2547500
22.	अंडमान और निकोबार	पोर्टब्लेयर	अंडमान और निकोबार	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, "बी" विंग, प्रथम तल, डीटीओ बिल्डिंग, हेडपोस्ट ऑफिस के पास, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप-744101	03192-242727
23.	पूर्वोत्तर-I	शिलांग	पूर्वोत्तर-I (दूरसंचार सर्किल)	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, तृतीय तल, सीटीओ बिल्डिंग, शिलांग - 793001	0364-2220431
24.	पूर्वोत्तर-II	दीमापुर	पूर्वोत्तर-II (दूरसंचार सर्किल)	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, ओसीबी टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग के पीछे, दीमापुर-797112	03862-237171

25.	असम	गुवाहाटी	असम (दूरसंचार सर्किल)	उप महानिदेशक (टीईआरएम), 5वां तल, सीजीएमटी का कार्यालय बीएसएनएल, असम, पान बाजर, गुवाहाटी-381001	0361-2634455
26.	मध्य प्रदेश	भोपाल	मध्य प्रदेश	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, कमरा नं0 222, द्वितीय तल, दूरसंचार भवन, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462015, रायपुर	0755-2550199
27.	छत्तीसगढ़	रायपुर	छत्तीसगढ़	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, कमरा सं0 108, दूरसंचार भवन जीई रोड, रायपुर-492001	0771-2543300
28.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश (दूरसंचार सर्किल) हैदराबाद दूरसंचार जिला छोड़कर	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, डी-II, दूरसंचार अधिकारी कॉम्पलेक्स, टिकेल रोड, मोगलराजपुरम, विजयवाडा- 520010, आंध्र प्रदेश	0866-2466099
29.	लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ दूरसंचार जिला	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, 5/464-465, विरम खंड- 5 गोमती नगर, लखनऊ-226010	0522-2727244
30.	जयपुर	जयपुर	जयपुर दूरसंचार जिला	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, भूतल, ट्रांसमिशन ब्लॉक, टीएएक्स बिल्डिंग, पीजीएमटीडी का कार्यालय, जयपुर, जीपीओ के सामने, एमआई रोड, जयपुर-302010	0141-2370500
31.	बेंगलुरू	बेंगलुरू	बेंगलुरू दूरसंचार सर्किल	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, द्वितीय तल, एमिनिटी ब्लॉक, पैलेस रोड, बेंगलुरू-560001	080-22372323
32.	पुणे	पुणे	पुणे दूरसंचार सर्किल	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, सीटीओ कम्पाउंड, जीपीओ के पीछे चर्च रोड, कैम्प, पुणे-411001 महराष्ट्र	020-26121616
33..	कोलकाता	कोलकाता	कोलकाता दूरसंचार सर्किल	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, चौथा तल, 3ए चौरिंघी प्लेस, कोलकाता-700013	033-22283206
34.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	अहमदाबाद दूरसंचार सर्किल	उप महानिदेशक (टीईआरएम), दूरसंचार विभाग, प्रथम तल, पी एंड टी प्रशासनिक बिल्डिंग, खानपुर, अहमदाबाद-380001	079-25500707